श्री फैयाज अहमद, स०वि०स० द्वारा दिनांक-01.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-धाम-1 के संबंध में:-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री फैयाज अहमद, सदस्य, बिहार विधान सभा	श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, विधि (धार्मिक न्यास) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि- क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के रहिका प्रखण्डान्तर्गत कपिलेश्वर स्थान स्थित वर्षो पुराना मंदिर में दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त मंदिर एवं परिसर का सौन्दर्यीकरण एवं धर्मशाला निर्माण कब तक करवाने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंड स्थित कपिलेश्वर स्थान मंदिर पर्षद में निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-3161 है। न्यास के प्रबंधन के लिए न्यास समिति का गठन नही होने के कारण कथित रूप से इसकी आय का दुरूपयोग हो रहा है और न्यास का विकास अवरूद्ध है। माननीय विधायक श्री फैयाज अहमद से प्राप्त तारांकित प्रश्न के आलोक में पर्षद के निरीक्षक को न्यास का स्थानीय निरीक्षण का आदेश दिया गया है ताकि न्यास के प्रबंधन, आय एवं व्यवस्था के संबंध मे अद्यतन जानकारी प्राप्त कर अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके। साथ ही जिला पदाधिकारी, मधुबनी से भी न्यास के आय एवं सम्पत्ति के संबंध में प्रतिवेदन तथा न्यास समिति के गठन हेतु सदस्यों का नाम भेजने का आग्रह किया गया है।

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप सं०-एल०आर०टी०-4-01/2018............जे० पटना, दिनांक-.................

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप संख्या-प्र०-973-74/वि०स०, दिनांक-07.02.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 5 (पाँच) प्रतिया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

C:\Sanjeet Kumar\Question\Questn 2018.doc

ज्ञाप सं0-एल0आर0टी0-4-01/2018.....2166.....जे0 पटना, दिनांक-..28/02/18...

प्रतिलिपि:-उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

28/2/18

E:\Sanjeev Kumar\Question\Quota 2018.doc

श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-01.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-धाम-02 के संबंध में:-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अचमित ऋषिदेव, सदस्य, बिहार विधान सभा	श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, विधि (धार्मिक न्यास) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड के बसैठी पंचायत मे स्थित प्राचीन शिव मंदिर का अब तक चाहरदिवारी निर्माण नही कराया गया है, जबकि मंदिर धार्मिक न्यास में निबंधित है, यदि हाँ तो सरकार उक्त प्राचीन शिव मंदिर बसैठी के चहारदिवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यो?	स्वीकारात्मक है। शिव मंदिर ग्राम-बसैठी पर्षद में निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-911 है। राज्य सरकार के संकल्प ज्ञाप संख्या-ओ0-मं0नि0यो0-01/2016-8778, पटना, दिनांक 19.09.2016 द्वारा अधिसूचित बिहार मंदिर चाहरदिवारी निर्माण योजना के अन्तर्गत राज्य के मठ/मन्दिरों का चाहरदिवारी निर्माण संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में कराया जा रहा है। इसका प्रशासी विभाग गृह विभाग, बिहार, पटना को बनाया गया है। इसके अन्तर्गत पर्षद की भूमिका निबंधित न्यासों की सूची जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराने तक सीमित है। उक्त संकल्प के आलोक में पर्षदीय पत्रांक-2060, दिनांक-18.10.2016 द्वारा अररिया जिला के निबंधित न्यासों की सूची जिला पदाधिकारी, अररिया को भेजी गयी है। उक्त सूची के क्रमांक-05 पर शिव मंदिर, बसैठी का नाम अंकित है। फिर भी प्राप्त तारांकित प्रश्न के आलोक में जिला पदाधिकारी, अररिया को चाहरदिवारी निर्माण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जा रहा है।

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप सं0-एल0आर0टी0-04-02/2018/............/जे0 पटना, दिनांक-............

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप संख्या-प्र0-1102-03/वि0स0, दिनांक-09.02.2018 के प्रसंग मे प्रश्नोत्तर की 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियाँ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-मनोज कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-एल0आर0टी0-04-02/2018/...2165.../जे0 पटना, दिनांक-...28/02/18

प्रतिलिपि:-उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28-2-18
(मनोज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

श्रीमती अरूणा देवी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-14

<u>क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-</u>

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के पकरीवरावाँ प्रखंड अंतर्गत धमौल बाजार में दो वर्षो से सोलर पम्प द्वारा वाटर सप्लाई किया जाता है,	(1) स्वीकारात्मक है।
(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पम्प द्वारा धमौल बाजार के केवल मुख्य गली में ही वाटर सप्लाई किया जा रहा है तथा पूरा बाजार इससे वंचित है,	(2) आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिलान्तर्गत पकरीबरावाँ प्रखंड के धमौल जलापूर्ति योजना का निर्माण वित्तीय वर्ष 2010-11 में किया गया है। यह योजना सोलर आधारित है तथा इसमें कुल 2935 मीटर वितरण प्रणाली द्वारा 14 अदद स्टैण्ड पोस्ट के माध्यम से जलापूर्त्ति की जा रही है।
(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कबतक पूरे बाजार में वाटर सप्लाई का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	(3) प्रश्नाधीन धमौल बाजार में जलापूर्त्ति हेतु मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वेक्षण कराकर प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में 'हर घर नल जल' कार्यक्रम के तहत योजना का कार्यान्वयन कर हर घर में नल जल सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

बिहार सरकार

<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।</u>

ज्ञापांक-6ए/प्र01-1016/2018- 407 पटना, दिनांक- 01/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 1104-05 दिनांक 09.02.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

1/3/18

(डी० प्रभात मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

श्री जितेन्द्र कुमार राय, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-27

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजना, नगरा एवं ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना, विक्रमपुर की जलापूर्ति व्यवस्था जर्जर हो चुकी है तथा जलमीनार से आंशिक क्षेत्र ही आच्छादित है, यदि हाँ तो सरकार दोनों ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कबतक, पुर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला के नगरा एवं विक्रमपुर ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाएँ क्रमशः वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2010-11 में स्वीकृत की गई थी। इन योजनाओं को पूर्व में स्वीकृत योजना के कार्यो को कराकर चालू किया गया था। परन्तु सड़क चौड़ीकरण के कारण अभी सीमित क्षेत्र में जलापूर्ति हो रही है। उक्त दोनों योजनाओं के लिए मुख्य मंत्री निश्चय योजना के तहत 'हर घर नल जल' हेतु डी०पी०आर० तैयार करने का निदेश दिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन कर 'हर घर नल जल' हेतु कार्य करा दिया जाएगा।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/प्र01-1025/2018- 408 पटना, दिनांक-01/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 2246-47 दिनांक 20.02.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० एन० सिंह)

संयुक्त सचिव (प्र0को0)

श्री डॉ नवाज आलम, स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-13

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, आरा में अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य का पैसा इस वर्ष नही दिया गया है, जिससे ग्रामीण जलापूर्ति एवं शहरी जलापूर्ति में चापाकल मरम्मति कार्य पुरी तरह रूक गया है, यदि हाँ, तो सरकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, आरा को राशि उपलब्ध कराकर कबतक कार्य को प्रारंभ कराना चाहती है, नही तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा से ग्रामीण/शहरी जलापूर्ति योजना एवं चापाकलों की मरम्मति के लिए निधि आवंटन हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा को भोजपुर जिलान्तर्गत ग्रामीण/शहरी जलापूर्ति योजना एवं चापाकलों की मरम्मति हेतु सामान्य अनुरक्षण एवं मरम्मति मद में कुल ₹11,93,736.00 (ग्यारह लाख तिरानबे हजार सात सौ छत्तीस रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जा चुकी है।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-4/प्र04-101/2018- 107 पटना, दिनांक- 1/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 999-1000 दिनांक 07.02.2018 के प्रसंग में/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

1/3/18

(डी० एम० मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-23

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि गया जिले के गुरारू प्रखण्ड के गुरारू बाजार में वर्ष-2006 में हर घर तक पाईप से पानी पहुँचाने की योजना बनी थी, पर आजतक कही भी पानी नहीं पहुँचा एवं भुगतान भी कार्य का हो गया है, यदि हाँ तो इसका क्या औचित्य है?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में हर घर नल जल की कोई योजना स्वीकृत नहीं थी। वर्ष 2006-07 में गुरारू ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, परन्तु संवेदक द्वारा कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण उसके एकरारनामा को रद्द करते हुए उसकी जमानत की राशि राज्यसात् कर ली गई है। शेष कार्यो को दूसरे संवेदक एवं अन्य श्रोत से कराया गया है। वर्त्तमान में जलापूर्त्ति बंद है। इस योजना को पूर्णरूपेण चालू करने हेतु मुख्य मंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत 'हर घर नल का जल' हेतु पाईप लाईन का विस्तार करते हुये संबंधित वार्डो को पूर्ण आच्छादित करने हेतु डी०पी०आर० तैयार करने के लिए निदेश कार्यपालक अभियंता, गया को दिया गया है। प्राक्कलन की स्वीकृत प्रदान कर अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्य पूरा कराया जाएगा।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/प्र01-1018/2018- 421 पटना, दिनांक- 01/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 1648-49 दिनांक 13.02.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

1/3/18

(डी० एस० मिश्रा)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-16

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखण्ड के मझियावां पंचायत में मिनी जलापूर्त्ति योजना का बोरिंग की गहराई कम होने के कारण जलापूर्त्ति ठप्प है,	(1) वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखंड के मझियावां पंचायत में 4(चार) अदद सौर उर्जा ड्वेल पम्प चालित जलापूर्ति योजना का निर्माण घिरसिंडी, पासवान टोला, सुड़ार, दुर्गा कल्ब के पास मझियावां अनुसूचित जाति टोला तथा गोगरा बांध में कराया गया है, जो कार्यरत है। मोटर पम्प में तकनीकी त्रुटि उत्पन्न हो जाने के कारण मझियावॉं के अनुसूचित जाति टोला में जलापूर्त्ति बाधित था। उक्त त्रुटि को दूर करा दिया गया है और वर्त्तमान में योजना चालू है।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत को पठारी एरिया होने के कारण पेयजल की समस्या बनी रहती है,	(2) स्वीकारात्मक है। मझियावां पंचायत पठारी क्षेत्र है। मझियावां पंचायत में कुल 91 चापाकल निर्मित एवं चालू है। गर्मी के दिनों में चापाकल की मरम्मति दल का गठन कर बंद चापाकलों की मरम्मति करायी जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर टैंकर द्वारा भी जलापूर्ति किया जाता है।
(3) यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पंचायत में मिनी जलापूर्ति की बोरिंग की गहराई बढ़ाकर जलापूर्त्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	(3) उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक स०/प्र01-1013/2018- 419 पटना, दिनांक- 01/03/2018

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 1342-43 दिनांक 09.02.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० एस० मिश्र) 1/3/18

संयुक्त सचिव (प्र०को०)

श्रीमती प्रेमा चौधरी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-8

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अंतर्गत पातेपुर विधान सभा क्षेत्र में पिछले पाँच वर्ष पूर्व शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु चापाकल लगाये गये थे जो बंद पड़ा है, यदि हाँ तो सरकार कब तक चापाकलों की मरम्मति कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिला अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर अंतर्गत पातेपुर विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजलापूर्ति हेतु दिनांक 31.01.2018 तक लगाये गये कुल चापाकलों की संख्या-2629 है। जिसमें लगभग 300 चापाकल मरम्मति योग्य नही रह गया है। साधारण मरम्मति में बंद होने की शिकायत प्राप्त होने पर उसे अविलंब मरम्मति कराकर चालू कर दिया जाता है। वर्त्तमान में कही भी पेयजल की समस्या की सूचना नही है।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/वि04-107/2018-413 पटना, दिनांक-01/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 883-84 दिनांक 06.02.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० एस० मिश्रा) 1/3/18

संयुक्त सचिव (प्र0को0)

श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.03.2018 को बिहार विधान-सभा मे पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-21

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखण्ड के बरौड़ा और नुवाँव प्रखण्ड का करमहरी मिनी जल आपूर्ति योजना का निर्माण वर्ष 2016-17 में कराया गया था,	(1) आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि रामगढ़ प्रखंड के बरौड़ा ग्राम में एक अदद मिनी जलापूर्ति योजना की स्वीकृति वर्ष 2014-15 में दी गई है, योजना का निर्माण कार्य प्रगति में है। दो माह मे योजना के बचे हुए कार्यो को पूर्ण कराकर जलापूर्ति चालू कर दी जाएगी। वर्ष 2014-15 मे नुआँव प्रखंड अंतर्गत कोटा पंचायत के करमहरी ग्राम में एक अदद मिनी पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृत दी गई है जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना को दो माह में चालू करने का लक्ष्य है।
(2) क्या यह बात सही है कि पम्प जमीन पर उपर बिछा दिया गया है तथा प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नही किया गया है,	(2) सम्पादित कार्यो की जांच हेतु वरीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त योजना का जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों को दण्डित कर नए सिरे से काम कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	(3) उक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/प्र01-1017/2018- 409 पटना, दिनांक-01/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 1650-51 दिनांक 13.02.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

1/3/18

(डी० एस० मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

पत्रांक-6ए/वि04-109/2018- 530

प्रेषक,

दया शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

सेवा में,

सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 23/2/18

विषयः श्री (डॉ0) राजेश कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2018 को बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-10

प्रसंगः प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-961-62 दिनांक 07.02.2018

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-फ-10 जो श्री (डॉ0) राजेश कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा चलते सत्र में दिनांक 01.03.2018 को पूछा जाने वाला है, को मूल प्रति संलग्न कर आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। जिस पर सम्प्रति आपके विभाग से कार्रवाई अपेक्षित है।

उपर्युक्त की सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय को भी दी जा रही है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक- 530 पटना, दिनांक- 23/2/18

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-961-62 दिनांक 20.11.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-23

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि गया जिले के गुरारू प्रखण्ड के गुरारू बाजार में वर्ष-2006 में हर घर तक पाईप से पानी पहुँचाने की योजना बनी थी, पर आजतक कही भी पानी नही पहुँचा एवं भुगतान भी कार्य का हो गया है, यदि हाँ तो इसका क्या औचित्य है?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में हर घर नल जल की कोई योजना स्वीकृत नही थी। वर्ष 2006-07 में गुरारू ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, परन्तु संवेदक द्वारा कार्य में रूचि नही लेने के कारण उसके एकरारनामा को रद्द करते हुए उसकी जमानत की राशि राज्यसात् कर ली गई है। शेष कार्यो को दूसरे संवेदक एवं अन्य श्रोत से कराया गया है। वर्त्तमान में जलापूर्त्ति बंद है। इस योजना को पूर्णरूपेण चालू करने हेतु मुख्य मंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत 'हर घर नल का जल' हेतु पाईप लाईन का विस्तार करते हुये संबंधित वार्डो को पूर्ण आच्छादित करने हेतु डी०पी०आर० तैयार करने के लिए निदेश कार्यपालक अभियंता, गया को दिया गया है। प्राक्कलन की स्वीकृत प्रदान कर अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्य पूरा कराया जाएगा।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/प्र01-1018/2018- 421 पटना, दिनांक- 01/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 1648-49 दिनांक 13.02.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

1/3/18

(डी० एस० मिश्रा)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

श्री ललन पासवान, स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-5

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड नौहट्टा के पंचायत-यदुनाथपुर उल्ली बनाही में शुद्ध पेयजल का घोर अभाव है, यदि हाँ तो सरकार नोहट्टा प्रखंड के उक्त दोनों पंचायतों मे सात निश्चय के तहत कबतक जलमीनार/ पानी टंकी बनवाकर पीने के पानी की व्यवस्था कराने का विचार रखती हैं, नही तो क्यों?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिला अंतर्गत नौहट्टा प्रखंड के यदुनाथपुर पंचायत के अंतर्गत ग्राम-यदुनाथपुर, डुमरखोह एवं बेलदुरिया में ट्वेल पम्प से जलापूर्ति चालू है। साथ ही राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता सबमिशन कार्यक्रम के तहत यदुनाथपुर पंचायत के वार्ड नं0 2,3,4 एवं 5 में 'हर घर नल का जल' योजना के तहत योजना स्वीकृत है जिसका कार्यान्वयन माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। शेष वार्ड में पंचायती राज विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' की कार्रवाई की जानी है। उल्ली बनाही पंचायत अंतर्गत वर्त्तमान में दो मिनी जलापूर्त्ति योजना एवं एक ट्वेल पम्प चालू है। इस पंचायत में 'हर घर नल का जल' का कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा ''हर घर नल का जल'' की कार्रवाई की जानी है।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/वि04-105/2018- 411 पटना, दिनांक- 01/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 887-88 दिनांक 06.02.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० एस० मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-19

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत गोराडीह प्रखंड अंतर्गत नदियामा ग्राम पंचायत के ग्राम जयखुट में मिनी जलापूर्ति योजना अंतर्गत 2014 में ही कार्य प्रारंभ किया गया था,	(1) स्वीकारात्मक है। नदियामा ग्राम पंचायत के जयखूट ग्राम में मिनी जलापूर्ति योजना का कार्य वर्ष 2014 में संवेदक को आवंटित किया गया था।
(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना अंतर्गत बोरिंग का कार्य तथा भवन निर्माण कार्य किया जा चुका है,	(2) स्वीकारात्मक है। जयखुट मिनी पाईप जलापूर्ति योजनान्तर्गत कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा बोरिंग तथा पम्प चैम्बर का कार्य पूर्ण किया गया है।
(3) क्या यह बात सही है कि पिछले चार वर्षो से संवेदक द्वारा शेष कार्य यथा पाइप बिछाने और सोलर प्लेट लगाने का कार्य अभी तक नहीं किया गया है, फलस्वरूप इस योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है,	(3) स्वीकारात्मक है। कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नही करने के फलस्वरूप मेसर्स वेदिस सोलर प्रा० लि० के एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया है एवं उसे काली सूची में डाला गया है! इस कारण पाईप लाईन बिछाने तथा सोलर प्लेट लगाने का कार्य पूर्ण नही हो सका है। योजना के अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। निविदा के माध्यम से कार्य वर्ष 2018-19 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस योजना को सरकार कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	(4) उपर्युक्त खंडो में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/प्र01-1011/2018- 406 पटना, दिनांक- 01/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 1475-76 दिनांक 12.02.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० प्रसाद मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

पत्रांक-6ए/प्र01-1024/2018-359

प्रेषक,

दया शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 26/2/18

विषय: श्री तौसीफ आलम, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-26 के संबंध में।

प्रसंग: प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-2254-55 दिनांक 20.02.2018

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-फ-26 जो श्री सरोज यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2018 को पूछा जाने वाला है, को मूल प्रति संलग्न कर आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है, जिस पर सम्प्रति आपके विभाग से कार्रवाई अपेक्षित है।

उपर्युक्त की सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय को भी दी जा रही है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन
26/2/18
(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक- 359 पटना, दिनांक- 26/2/18

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-2254-55 दिनांक 20.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

26/2/18
(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-28

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के सिधवलिया प्रखंड के बुचियाँ, बरहीमा, अमरपुरा तथा बैकुण्ठपुर प्रखंड के सिरसा मानपुर, गम्हारी गाँवों में आयरन प्रभावित होने के कारण पेयजल दूषित हो गया है, यदि हाँ तो सरकार उपरोक्त गाँवों में शुद्ध पेयजल कबतक उपलब्ध कराने हेतु योजना लागू करना चाहती है, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन क्षेत्रों अभी लौह प्रभावित क्षेत्रों की सूची में शामिल नहीं है। परन्तु प्रश्नाधीन गाँवों के पेयजल में आयरन की मात्रा अधिक होने की जाँच हेतु कार्यपालक अभियंता, गोपालगंज को निदेश दिये गये है। पेयजल में लौह की समस्या होने पर जिलाधिकारी, गोपालगंज के माध्यम से वस्तुस्थिति से विभाग को अवगत कराने का भी निदेश दिया गया है। इस हेतु जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को पत्र दिया गया है। उनसे प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/प्र01-1027/2018- 418 पटना, दिनांक- 01/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 2333-2334 दिनांक 22.02.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० एस० मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-15

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि बाँका जिला के बौंसी प्रखंड के दलिया पंचायत के सुखनिया जलमीनार से शुद्ध पेयजल की आपूर्त्ति प्रारंभ नही किया गया है, जिसके कारण आमजन को शुद्ध पेयजल की आपूर्त्ति नहीं हो रही है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त जलमीनार से शुद्ध पेयजल की आपूर्त्ति प्रारंभ कराना चाहती है, नही तो क्यों?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बाँका जिला के बौंसी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें 'हर घर नल का जल' का प्रावधान नही था, जिसके कारण इसे रद्द कर दी गई थी। सरकार के निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत बौंसी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में ''हर घर नल का जल'' का प्रावधान करते हुए संशोधित डी०पी०आर० के अनुमोदनोपरांत पुनः निविदा का प्रकाशन कराया गया है। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 27.02.2018 है। इस योजना को वर्ष 2018-19 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/प्र01-1015/2018- 412   पटना, दिनांक- 01/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 1344-45 दिनांक 11.02.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० एस० मिश्र) 1/3/18
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

बिहार सरकार

<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।</u>

पत्रांक-6ए/प्र01-1014/2018- 317

प्रेषक,

दया शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-21/2/18

विषय: श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-17 के संबंध में।

प्रसंग: प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-1352-53 दिनांक 11.02.2018

महाशय्

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-फ-17 जो श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2018 को पूछा जाने वाला है, को मूल प्रति संलग्न कर आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। जिस पर सम्प्रति आपके विभाग से कार्रवाई अपेक्षित है।

उपर्युक्त की सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय को भी दी जा रही है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक- 317 पटना, दिनांक-21/2/18

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-1352-53 दिनांक 11.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

श्री केदार प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-31

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुढ़नी प्रखंड के तुर्की प्रखंड मुख्यालय में निर्मित जल मीनार से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, यदि हाँ तो इसका क्या औचित्य है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुढ़नी प्रखंड के तुर्की मुख्यालय में निर्मित जलापूर्ति योजना में लिकेज के कारण तीन-चार माह तक जलापूर्त्ति बाधित हो गई थी। योजना में लिकेज की मरम्मति कराकर जलापूर्त्ति वर्त्तमान में चालू कर दी गई है। इस योजना में जल मीनार का प्रावधान नहीं है।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/प्र01-1029/2018- 415 पटना, दिनांक- 01/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 2337-2338 दिनांक 22.02.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० एम० मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

बिहार सरकार

<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।</u>

पत्रांक-6ए/प्र01-1028/2018- 570

प्रेषक,

दया शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 27/2/18

विषय: श्री सरोज यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-29 के संबंध में।

प्रसंग: प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-2335-2336 दिनांक 22.02.2018

महाशय्

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-फ-29 जो श्री सरोज यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2018 को पूछा जाने वाला है, को मूल प्रति संलग्न कर आग की कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है, जिस पर सम्प्रति आपके विभाग से कार्रवाई अपेक्षित है।

उपर्युक्त की सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय को भी दी जा रही है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

(दया शंकर मिश्र) 27/2/18
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक- 570 पटना, दिनांक- 27/2/18

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-2335-2336 दिनांक 22.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

(दया शंकर मिश्र) 27/2/18
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

पत्रांक-6ए/प्र॰1019/18 516

प्रेषक,

दया शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 21/2/18

विषय: श्री सुधांशु शेखर, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-22 के संबंध में।

प्रसंग: प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-1652-53 दिनांक 13.02.2018

महाशय्,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-फ-22 जो श्री सुधांशु शेखर, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2018 को पूछा जाने वाला है, को मूल प्रति संलग्न कर आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। जिस पर सम्प्रति आपके विभाग से कार्रवाई अपेक्षित है।

उपर्युक्त की सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय को भी दी जा रही है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक- 516 पटना, दिनांक- 21/2/18

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-1652-53 दिनांक 13.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

बिहार सरकार

<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।</u>

पत्रांक-6ए/प्र01-1021/2018- 358

प्रेषक,

दया शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

सेवा में,

सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 26/2/18

विषय: श्री प्रभुनाथ प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2018 को बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-25

प्रसंग: प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-1961-62 दिनांक 15.02.2018

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-फ-25 जो श्री प्रभुनाथ प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा वर्त्तमान सत्र में दिनांक 01.03.2018 को पूछा जाने वाला है, की मूल प्रति संलग्न कर आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है, जिस पर सम्प्रति आपके विभाग से कार्रवाई अपेक्षित है।

उपर्युक्त की सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय को भी दी जा रही है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

26/2/18

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक- 358 पटना, दिनांक- 26/2/18

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-1961-62 दिनांक 15.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

26/2/18

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

बिहार विधान सभा में माननीय स0वि0स0, श्री अजीत शर्मा द्वारा दिनांक–01.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–07 का उत्तर :–

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के भागलपुर नगर निगम का सम्पूर्ण क्षेत्र जगदीशपुर राजस्व अंचल के अन्तर्गत है जो शहर से 18 कि0मी0 दूर है, जिसके कारण शहरवासियों को भू–लगान संबंधी एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है, यदि हाँ तो सरकार भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए कब तक एक स्वतंत्र राजस्व अंचल की स्थापना का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?"	स्वीकारात्मक है। भागलपुर नगर निगम में कुल–32 सर्वे वार्ड है। भागलपुर नगर निगम का वार्ड सं0–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 – कुल–24 सर्वे वार्ड – जगदीशपुर अंचल क्षेत्र में अवस्थित है। 'शेष वार्ड सं0–18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 – कुल–8 सर्वे वार्ड – नाथनगर अंचल में अवस्थित है। नाथनगर अंचल से संबंधित भागलपुर नगर निगम क्षेत्र का सभी 08 वार्डों की दूरी अंचल कार्यालय से लगभग 3 से 4 कि0मी0 हैं। जगदीशपुर अंचल क्षेत्र में उपर्युक्त 24 सर्वे वार्डों के अतिरिक्त 15 पंचायत भी सम्मिलित है। जगदीशपुर अंचल मुख्यालय, भागलपुर नगर क्षेत्र से लगभग–15 कि0मी0 की दूरी पर अविस्थित है। आम नागरिकों की सुविधा एवं उनके आवश्यक कार्यों के निष्पादन हेतु भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में जगदीशपुर अंचल का कैम्प कार्यालय सप्ताह में तीन दिन संचालित किया जाना प्रारंभ किया गया है, ताकि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो।
2) यदि हां तो सरकार भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए कब तक एक स्वतंत्र राजस्व अंचल की स्थापना का विचार रखती है, नहीं तो क्यो ?	इस संबंध में विभागीय पत्रांक–90, दिनांक–26. 02.2018 के द्वारा समाहर्त्ता, भागलपुर से मंतव्य एवं प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

D:\2018\01 Jan 02 feb 03 march 04 april\Bidhan Sebha_Qestion\Ajit Sharma Ra0-07.docx

बिहार विधान सभा में माननीय श्री संजय सरावगी, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–28:–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री रामनारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
1. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार भूमिहीन महादलित एवं दलित परिवारों को बसाने के लिए पाँच डीसमिल जमीन देने का निर्णय चार वर्ष पूर्व ले चुकी है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0–01 मोहल्ला अलीनगर में रहने वाले 1. गीता देवी पति–स्व0 जीवछ पासवान, 2. मुन्नी देवी पति–विपत पासवान 3. राधा देवी, पति–रीतलाल दास, 4. सुनैना देवी पति–मोहन दास 5. निर्मला देवी पति–मन्टू चौपाल, 6. पच्चू महतो, पिता–श्री चन महतो, 7. गणेश चौपाल पिता–गुणेश्वर चौपाल समेत समेत 50 दलित एवं महादलित परिवार पिछले 50 वर्षों से रहते आ रहे हैं, लेकिन उनको उक्त जमीन का वासगीत पर्चा सरकार द्वारा अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट के अनुसार नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित भूमि/ भू–खण्ड का वासगीत पर्चा नही दिया जा सकता है। गीता देवी व अन्य सभी रैयती भूमि पर बसे है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित दलित एवं महादलित परिवारों को वासगीत पर्चा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार विधान सभा में श्रीमती सुनीता चौहान, मा० स० वि० स० द्वारा दि०–01.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–रा०–04 उत्तर

प्रश्न			उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–			माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(क)	क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु 03 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध कराने हेतु समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के पत्रांक–1713 दि0–14.10.2017 द्वारा अंचल अधिकारी बेलसंड को पत्र लिखा गया है, लेकिन आज तक भूमि उपलब्ध नहीं किया गया है, यदि हाँ तो सरकार उक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए कब तक भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	(क)	समाहर्त्ता, सीतामढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बेलसंड अंचल क्षेत्र अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है। उक्त कार्य हेतु बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत प्रशासी विभाग रैयतों से समाहर्त्ता के माध्यम से भूमि प्राप्त कर सकते हैं अथवा भू–अर्जन हेतु अधियाचना जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध कराकर भूमि अर्जन की जा सकती है।

बिहार विधान सभा में माननीय श्रीमती गुलजार देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–39:–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री रामनारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर अंचल में अभियान रैन बसेरा के तहत पाँच डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने हेतु 8783 आवेदकों ने दिनांक–06.04.2016 तक अंचालाधिकारी को आवेदन दिया है, परन्तु आज तक अंचलाधिकारी, मधेपुर ने किसी आवेदनकर्त्ता का जमीन उपलब्ध नहीं कराया है, यदि हाँ तो सरकार आवदनकर्त्ताओं को कबतक भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। समाहर्त्ता मधुबनी के प्रतिवेदनानुसार दिनांक–16.04.16 तक अभियान बसेरा के तहत 05 डी0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु 8783 आवेदकों द्वारा अंचल कार्यालय को आवेदन नहीं उपलब्ध नहीं कराया गया है। मधेपुरा अंचल में अभियान बसेरा के तहत आवेदन प्राप्त हो रहे है और उनके निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में प्राप्त आवेदन में से 28 लाभुकों को भूमि बन्दोबस्ती की जा चुकी है तथा शेष आवेदको का निष्पादन कर भूमि बन्दोबस्ती शीघ्र की जाएगी।

बेहार विधान सभा में डॉ0 मो0 जावेद, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दि0–01.03.2018 को पूछा जानेवाला .तारांकित प्रश्न सं0–रा0–09 का उत्तर

प्रश्न			उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–			माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
1	क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज शहर के बीचों बीच आलमगंज हाट कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है, जिसके कारण हाट सड़क पर लगती है एवं आवागमन ठप्प हो जाती है, यदि हाँ तो सरकार आलमगंज हाट से कबतक अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	1	उत्तर स्वीकारात्मक है। आलमगंज हाट सैरात किशनगंज अंचल अन्तर्गत किशनगंज शहर में अवस्थित है। शिया वक्फ बोर्ड द्वारा उक्त सैरात की भूमि पर अपना दावा करते हुए पूर्व में ही कुल 14 व्यक्तियों को व्यवसाय आदि के लिए भूमि दी गई थी। साथ ही सैरात की भूमि पर अपने दावे के समर्थन में व्यवहार न्यायालय, किशनगंज में स्वत्व अपील वाद संख्या–71/95 शिया वक्फ बोर्ड बनाम बिहार सरकार भी दायर किया गया था। आलमगंज हाट सैरात की भूमि से अवैध कब्जा को खाली कराने हेतु अंचल अधिकारी, किशनगंज के स्तर से सम्बन्धितों को नोटिस भी निर्गत किया गया था, परन्तु मामला व्यवहार न्यायालय में लम्बित रहने के कारण अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जा सकी। स्वत्ववाद अपीलवाद सं0–71/95 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–14.11.17 को सरकार के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में नियमानुसार अतिक्रमणवाद चलाकर अतिक्रमण हटाने की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

बिहार विधान सभा में माननीय श्री राजू तिवारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–36:–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री रामनारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(क) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के अरेराज प्रखंड में सोमेश्वर नाथ मंदिर में 100 वर्ष पूर्व से सावन एवं भादो माह में वृहत पैमाने पर श्रद्धालुओं का मेला लगता है तथा उक्त स्थल पर उत्सव का माहौल लगातार दो माह तक बना रहता है;	पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत अरेराज प्रखंड में अवस्थित सोमेश्वर नाथ मंदिर परिसर में लगने वाले मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम, 2008 के प्रवधानों के तहत इस मेले को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में लिये जाने हेतु विस्तृत प्रतिवेदन की माँग राजस्व विभागीय पत्रांक–181/रा0 दिनांक–01.03.2018 द्वारा समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण से की गयी है। समाहर्त्ता से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
(ख) क्या यह बात सही है कि उक्त मेला में सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण मेला में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;	
(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त मेला का सरकारी मेला का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	

बिहार विधान सभा में माननीय श्री राजू तिवारी, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–36:–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री रामनारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(क) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के अरेराज प्रखंड में सोमेश्वर नाथ मंदिर में 100 वर्ष पूर्व से सावन एवं भादों माह में वृहत पैमाने पर श्रद्धालुओं का मेला लगता है तथा उक्त स्थल पर उत्सव का माहौल लगातार दो माह तक बना रहता है;	पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत अरेराज प्रखंड में अवस्थित सोमेश्वर नाथ मंदिर परिसर में लगने वाले मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम, 2008 के प्रवधानों के तहत इस मेले को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में लिये जाने हेतु विस्तृत प्रतिवेदन की माँग राजस्व विभागीय पत्रांक–181/रा0 दिनांक–01.03.2018 द्वारा समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण से की गयी है। समाहर्त्ता से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
(ख) क्या यह बात सही है कि उक्त मेला में सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण मेला में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;	
(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त मेला का सरकारी मेला का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यो?	

बिहार विधान सभा में श्री लालबाबु प्रसाद गुप्ता, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा आगामी अधिवेशन/सत्र में दि0–01.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–08 का उत्तर

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के रहुई प्रखण्ड के ग्राम पंचायत रहुई अन्तर्गत ग्राम–रहीमपुर में श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा अपने घर के दक्षिण तरफ मुख्य कच्ची पथ का तीन फीट आगे बढ़कर छड़ का पायलिंग तथा पूरब तरफ लगभग छः फीट आगे बढ़कर शौचालय का टंकी बनाकर दीवाल से घेरकर अगस्त, 2016 से अतिक्रमण कर लिए जाने के चलते ग्राम के मध्य, उत्तर तथा पूरब टोला सहित अन्य दर्जनों ग्रामों में तिपहिया एवं चारपहिया वाहनों का आवागमन पिछले डेढ़ वर्षों से पूर्णतः बन्द है, जिससे आमजनों को कठिनाई होती है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त पथ को अतिक्रमण मुक्त कराकर आवागमन सुचारू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?		स्वीकारात्मक है। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नगत गली की मापी कराकर छड़ उखाड़ने हेतु श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह को नोटिस निर्गत की गई थी। जिस पर श्री सिंह के पुत्रों द्वारा पुर्नमापी का अनुरोध किया गया। दिनांक–13.02.2018 को दुसरे अमीन से स्थल की मापी कराई गई, जिसमें पाया गया कि श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह का शौचालय टंकी खेसरा सं0–29 जो आम गली है में बना हुआ है। अंचल कार्यालय रहुई के ज्ञापांक–243 दि0–23.02.2018 द्वारा महेन्द्र प्रसाद सिंह को नोटिस निर्गत की गयी है कि दो दिनों के अन्दर खेसरा सं0–29 में बनाए गए शौचालय टंकी को ध्वस्त कर सूचित करें। आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर बलपूर्वक खेसरा नं0–29 में निर्मित शौचालय टंकी को ध्वस्त कर दिया जाएगा एवं व्ययगत राशि उनसे वसूलनीय होगी।

बिहार विधान सभा में माननीय स0वि0स0, श्री नीरज कुमार द्वारा दिनांक–01.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–05 का उत्तर :–

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती अंचल के मौजा बारा, खाता–141, खेसरा–507, 508 एवं 1253, थाना–152, रकवा–1.26 डी0 मोसमात यशोदा देवी, पति मथुरा प्रसाद भगत के नाम दर्ज है ?"	उत्तर स्वीकारात्मक है। प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी मो0 यशोदा देवी के नाम से सृजित है, जिसकी जमाबंदी सं0–141 है।
2) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वर्ष 2016 में उक्त जमीन का मालिकाना हक समान हिस्सों में प्लीडर कमिश्नर को बहाल कर विभाजित करने का आदेश दिया गया था, परन्तु अंचल अधिकारी, पीरपैंती ने उक्त आदेश का उल्लंघन कर बिना प्लीडर कमिश्नर बहाल किये हुए एक पक्ष की उक्त जमीन को सड़क से सटे आगे का भू–भाग म्यूटेशन कर दिया है, यदि हां तो आदेश की अनुरूप सरकार कब तक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–489/रा0, दिनांक–28.02.2018 से प्राप्त सूचनानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्लीडर कमिश्नर की बहाली से संबंधित पारित आदेश की प्रति अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। स्थानीय जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि माननीय उच्च न्यायालय, सब जज–7 भागलपुर के टी0एस0 सं0–367/89 श्री भागवात प्रसाद भगत बनाम शंकर भगत एवं अन्य में न्यायालय द्वारा प्लीडर कमिश्नर की बहाली की गयी थी, जिनके द्वारा अपना प्रतिवेदन न्यायालय में दिनांक–03.12.2011 को समर्पित किया गया। जमाबंदी रैयत मो0 यसोदा देवी के एक पुत्र श्री दिलीप कुमार भगत के द्वारा केवाला नं0–5287 दिनांक–06.10.2016 से श्रीमती सरोज देवी पति निरज कुमार सा0–शेरमारी बाजार को खाता–141, खेसरा–508, रकवा–25.56 डी0, खेसरा–507, रकवा–14.44 डी0, खेसरा–1253, रकवा–0.02 डी0 कुल रकवा–0.42 डी0 बिक्री कर दिया गया है। उक्त बिक्री के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0–3794/344 वर्ष 2016 में तत्कालीन अंचल अधिकारी, श्री निर्मल कुमार राय द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी। श्री निर्मल कुमार राय, तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा विभागीय कार्यों में अनियमितता बरते जाने के कारण आरोप प्रपत्र 'क' का गठित कर जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–2433/रा0, दिनांक–28.07.2016 से आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री राय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन प्रगति पर है।

बिहार विधान सभा के नवम् सत्र में श्री अचमित ऋषिदेव, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा द्वारा दि0–01.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–15 का उत्तर

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–		माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गिधवास का जमीन अगल–बगल के दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे जमीन के अभाव में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नए भवन का निर्माण कराने में बाधा उत्पन्न हो गयी है, यदि हाँ तो क्या सरकार अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?		वस्तुस्थिति यह है कि राजस्व विभागीय पत्र संख्या–67(6)/रा0, दिनांक–08.02.2017 द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष एवं सभी समाहर्त्ता को विभागीय जमीन से अतिक्रमण हटाने हेतु प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए आवश्यक दिशा–निदेश दिया गया है। यदि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गिधवास की जमीन का अतिक्रमण हटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा भूमि से संबंधित अतिक्रमण वाद अंचल अधिकारी के न्यायालय में दायर किया जाता है तो वैसी स्थिति में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जा सकेगा।

बिहार विधान सभा में श्री नारायण प्रसाद, मा० स० वि० स० द्वारा द्वारा दि०–01.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–रा०–02 का उत्तर

प्रश्न			उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–			माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
	क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया अंचल अन्तर्गत भितहां गॉव स्थित छठ घाट की अतिक्रमित भूमि को खाली करने का आदेश अंचलाधिकारी, बैरिया ने अपने ज्ञापांक–260 दिनांक–16.11.17 द्वारा दिया है, जिसका अनुपालन जनवरी, 2018 तक नहीं किया जा सका है, यदि हॉ तो सरकार उक्त अतिक्रमित छठ घाट की भूमि को कब तक खाली कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?		आंशिक स्वीकारात्मक है। प्रश्नगत भूमि पर अंचलाधिकारी, बैरिया द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या–1/2016–17 प्रारंभ कर विधिवत आदेश पारित करते हुए अतिक्रमणकारी मुन्ना चौधरी, झुनझुन चौधरी एवं हरेन्द्र चौधरी द्वारा किए गए अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन एवं ग्रामीणों के सहयोग से हटा दिया गया है। सम्बन्धित भू–भाग पर अब कोई अतिक्रमण नहीं है।

बिहार विधान सभा में श्री निरंजन कुमार मेहता, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दि0–01.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–22 का उत्तर

प्रश्न			उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–			माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
01	क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज प्रखंड अन्तर्गत शेखपुरा पंचायत में मौजा शेखपुरा के खाता संख्या–294, खेसरा 80 तथा 81, रकबा 88 डिसमिल की सरकारी जमीन पर स्थानीय दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर उस पर पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी है, यदि हॉ तो सरकार उक्त सरकारी भूमि को कबतक अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	01	उत्तर स्वीकारात्मक है। बिहारीगंज प्रखण्ड अन्तर्गत शेखपुरा पंचायत के शेखपुरा मौजा, थाना नं0–323, खाता सं0–294 अन्तर्गत खेसरा सं0–80 एवं 81 नहीं है, बल्कि सही खेसरा संख्या–780 एवं 781 है, जिसका रकबा क्रमशः 73 डिसमिल एवं 15 डिसमिल कुल–88 (अठासी) डिसमिल है, जो शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन पर 10' x 12' जमीन पर कुर्सी तक ईट का पक्का दीवार खड़ा किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा पत्रांक–542 दिनांक–26.02.2018 के द्वारा अतिक्रमित सरकारी जमीन मुक्त कराने हेतु अधियाचना दिया है। तद्नुसार उक्त सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी है।

बिहार विधान सभा में माननीय श्री नन्द कुमार राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–10:–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री रामनारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर प्रखण्ड के पंचायत कल्याणपुर हरौना के ग्राम–सेन्दुआरी गजसिंह महादलित बस्ती में ग्रामीण सड़क पहुँच पथ के निर्माण हेतु अंचालधिकारी, मोतीपुर को विगत पाँच वर्षों से महादलित बस्ती के ग्रामीणों द्वारा आवेदन दिया गया है, परन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ तो इसका क्या औचित्य है?	समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मोतीपुर अंचल अन्तर्गत कल्याणपुर हरौना के ग्राम सेन्दुआरी गजसिंह में अवस्थित महादलित बस्ती में पहुँच पथ के लिए पंचायत के मुखिया द्वारा दिनांक–13.02.2018 को समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के स्तर पर आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में सम्पर्क पथ नीति के तहत कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। भूमि/ भू–खंड के हितवद्ध भू–धारियों की सहमति प्राप्त करने हेतु बैठक प्रस्तावित है।

बिहार विधान सभा में माननीय स0वि0स0, श्री सुदामा प्रसाद द्वारा दिनांक–01.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–33 का उत्तर :–

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत तरारी प्रखण्ड में अंचलाधिकारी की स्थायी प्रतिनियुक्ति नहीं होने से वहाँ का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ तो सरकार तरारी प्रखण्ड में कबतक स्थायी अंचलाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। राजस्व अधिकारी की कमी के कारण भोजपुर जिला के तरारी अंचल में अंचल अधिकारी का पद रिक्त है, जिसके कारण श्री जय प्रकाश मिश्र, प्रभारी अंचल अधिकारी, पीरों, तरारी अंचल के अतिरिक्त प्रभार में है। श्री मिश्र के द्वारा तरारी अंचल के राजस्व से संबंधित कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। राजस्व अधिकारी के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग के स्तर से दो अधियाचना क्रमशः विभागीय पत्रांक–173 (3)/रा0, दिनांक–28.04.2016 से कुल–175 अभ्यर्थियों एवं विभागीय पत्रांक–291(3)/रा0, दिनांक–20.06.2017 द्वारा 19 अभ्यर्थियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची प्राप्त होने पर रिक्त अंचलों में अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन किया जायेगा। बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर पर अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रियाधीन है।

बिहार विधान सभा में माननीय श्रीमती लेशी सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–11:–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री रामनारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत के0नगर प्रखण्ड अधीन गोआसी महादलित टोला वासी को आवागमन हेतु रास्ता नहीं होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो क्या सरकार गोआसी महादलित टोला वासी को आवागमन हेतु जमीन अधिगृहित कर रास्ता बनाने का विचार रखती है?	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि गोआसी महादलित टोला वासी के आवागमन हेतु भूमि चिन्हित कर लिया गया है, जिसे रास्ता उपलब्ध कराने हेतु भू–अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।

D:\Sanjeev\sec-III\Tara G\Question\Question-Ra 11.doc

बिहार विधान सभा में माननीय श्री राम बिशुन सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–13:–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री रामनारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
1. क्या यह बात सही है कि सरकारी नियमानुसार बिहार में भूमिहीन परिवारों को 3 डीसमील जमीन हेतु देने का प्रावधान है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वर्तमान में भूमिहीन परिवारों को 05 डी0 भूमि देने का प्रावधान है।
2. क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत जगदीशपुर प्रखण्ड एवं पीरो प्रखण्ड में अभी तक भूमिहीनों को जमीन आवंटित नहीं किया गया है;	उत्तर अस्वीकारात्मक, है। वस्तुस्थिति यह है कि जगदीशपुर अंचल अन्तर्गत कुल 94 भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से 69 सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करा दी गई है। अवशेष परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। पीरो अंचल अन्तर्गत कुल 39 भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से 33 सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास वासभूमि उपलब्ध करा दी गई है। अवशेष परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जगदीशपुर प्रखण्ड एवं पीरो प्रखण्डों में 03 डी0 जमीन कब तक देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।